

संख्या- 23/2022/1077/अरसठ-4-2022-43/2012 टी0सी0

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,  
अनु सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 02 नवम्बर, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत परिवर्तन लागत एवं रसोइयाँ मानदेय मद हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-म0भो0प्रा0/1879/2022-23 दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-796 जनजातीय उपयोजना-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101 मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत परिवर्तन लागत मद में केन्द्रांश रु० 430.84286 लाख एवं रसोइयाँ मानदेय मद में केन्द्रांश रु० 101.23714 लाख अर्थात् कुल केन्द्रांश रु० 532.08000 लाख (रु० पांच करोड़ बत्तीस लाख आठ हज़ार मात्र) तथा लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-796 जनजातीय उपयोजना-89 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901 मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के अन्तर्गत परिवर्तन लागत मद में राज्यांश रु० 287.23000 लाख अर्थात् कुल राज्यांश रु० 287.23000 लाख (रु० दो करोड़ सत्तासी लाख तेईस हज़ार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति एस0एन0ए0 के माध्यम से जारी करने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

- (1) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश संख्या-12/2022/बी-1-357/दस-2022, दिनांक 10-5-2022 एवं शासनादेश संख्या- 15/2022/बी-1-516/दस-2022,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 28-6-2022 में निर्धारित दिशा-निर्देश/ प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (2) स्वीकृति की जा रही धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के निर्देशों के क्रम में S.N.A. तथा IA's के द्वारा P.F.M.S. के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आहरित की जाएगी।
- (3) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/ दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- (5) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्गत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रांश एवं बजट की उपलब्धता, विगत वर्षों में निर्गत समस्त धनराशियों (संगत शासनादेशों के अनुसार) का मिलान करते हुए स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।
- (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त पर होने वाला केन्द्रांश का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-796 जनजातीय उपयोजना-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101 मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के)-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद तथा राज्यांश व्यय लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-796 जनजातीय उपयोजना-89 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901 मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय संख्या-E-11-105-x-2022-23 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

धर्मेन्द्र मिश्र

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
- 5- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 8- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 10- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 11- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
- 12- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0।
- 13- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 14- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
ह0/-  
धर्मन्द्र मिश्र,  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।